

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE  
**LOK SABHA**  
**UNSTARRED QUESTION NO. 1117**  
TO BE ANSWERED ON 22<sup>nd</sup> July, 2022

**RESTORATION OF SERVICE ELEMENT OF DISABILITY PENSION**

1117. SHRI ANUBHAV MOHANTY:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

- (a) whether an order has been issued vide No. 1(9)/ 2006/D(Pen-C) dated 30th August, 2006 regarding restoration of service element of the disability pension of defence personnel;
- (b) if so, the details thereof;
- (c) whether the service element of the disability pension has been granted to the affected officers who approached for its restoration;
- (d) if so, the details thereof; and
- (e) if not, the reasons therefor?

A N S W E R

MINISTER OF STATE  
IN THE MINISTRY OF DEFENCE

(SHRI AJAY BHATT)

- (a) &(b): Yes, Sir. Implementation order of MoD letter No. 1(9)/2006/D(Pen-C) dated 30.08.2006 in respect of non-regular officers has been issued to all Pension Disbursing Agencies (PDAs) vide Principal Controller of Defence Accounts, PCDA(P) Circular No. 2 bearing No. G-1/M/02/ICOs/XII dated 17.11.2006.
- (c) to (e): Yes, Sir. Service Element of disability pension has been granted in all cases.

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
रक्षा मंत्रालय  
सैन्य कार्य विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1117  
22 जुलाई, 2022 को उत्तर के लिए

**निःशक्तता पेंशन के सेवा घटक की बहाली**

**1117. श्री अनुभव मोहंती:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या रक्षा कर्मियों की निःशक्तता पेंशन के सेवा घटक की बहाली के संबंध में दिनांक 30 अगस्त, 2006 के क्रमांक 1 (9)/2006/डी(पेन-सी) के अंतर्गत आदेश जारी किया गया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या विकलांगता पेंशन के सेवा घटक की बहाली के लिए संपर्क करने वाले प्रभावित अधिकारियों को यह प्रदान किया गया है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और
- (ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री अजट भट्ट)**

(क) और (ख): जी, हां । अनियमित अधिकारियों के संबंध में दिनांक 30.08.2006 के रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 1(9)/2006/रक्षा(पेन-सी) का क्रियान्वयन आदेश सभी पेंशन संवितरण एजेंसियों (पीडीए) को दिनांक 17.11.2006 के प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक, (पीसीडीए (पी)) के परिपत्र सं. 2 के तहत सं. जी-1/एम/02/आईओएज/XII के द्वारा जारी किया गया है ।

(ग) से (ड.): जी, हां । सभी मामलों में निःशक्तता पेंशन संबंधी सेवा घटक प्रदान किया गया है।

\*\*\*